24 NOV 2021	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अभियोजन अधिकारी उपस्थित। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GC 9688** को सिपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी राकेश दायमा पिता लखमीचन्द दायमा निवासी शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वाहन स्वामी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, भदेसर से कमेन्ट्स मय केस डायरी के प्राप्त किए गए। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना, भदेसर द्वारा पत्रांक/2583 दिनांक 17.11.2021 से टिप्पणी मय केस डायरी के प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं

(तारा चन्द मीणा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना, भदेसर से प्राप्त कमेन्ट्स में उन्होने जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GC 9688** की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं होना अवगत कराया गया है। चूंकि वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GC 9688** की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अतः पच्चीस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना भदेसर से प्राप्त केस डायरी लौटाई जावें। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। (तारा चन्द मीणा) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ 24 NOV 2021	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official